भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1101**

दिनांक 09 मार्च, 2017 को उत्‍तर के लिए

**स्‍त्री-पुरुष के लिए पृथक-पृथक बजट की अवधारणा**

**1101. श्रीमती वानसुक साइम:**

क्‍या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्‍या अपर्याप्‍त बजटीय आबंटन, जो कि कुल परिव्‍यय का मात्र एक प्रतिशत है और जिसमें स्‍त्री-पुरुष हेतु पृथक-पृथक बजटीय आबंटन का स्‍थित हिस्‍सा परिव्‍यय का मात्र 5 प्रतिशत है, के कारण महिला एवं बाल विकास के विभिन्‍न कार्यक्रम/योजनाओं के कार्यान्‍वयन के सरकारी प्रयास बाधित हो रहे हैं;

(ख) क्‍या वर्ष 2005 में शुरू की गई स्‍त्री-पुरुष पृथक-पृथक बजट की अवधारणा से बहुत ज्‍यादा फर्क नहीं पड़ा है क्‍योंकि वर्तमान बजटीय आबंटन अत्‍यंत कम तथा अपर्याप्‍त है;

(ग) क्‍या सरकार गैर-सरकारी संगठनों तथा कारपोरेट क्षेत्र से संसाधनों की कमी को पूरा करने और आगे बढ़कर अनेक सरकारी पहल कदमियों को प्रायोजित करने की अपेक्षा रखती है; और

 (घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

श्रीमती कृष्‍णा राज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍यमंत्री

(क) और (ख) : क्षेत्रों तथा शासन के सभी स्‍तरों पर जेंडर को मुख्‍यधारा में लाने के उद्देश्‍य से, भारत सरकार ने वर्ष 2004-05 में जेंडर बजटिंग को एक साधन के रूप में अपनाया है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी स्‍तरों तथा बजटीय प्रक्रिया के चरणों पर जेंडर को मुख्‍यधारा में लाने को सुनिश्‍चित करने के लिए एक मार्ग के रूप में समूचे देश में अनुकूल रूप से संवर्धित कर रहा है । जातियों, कार्यक्रमों तथा स्‍कीमों में जेंडर विश्‍लेषण के समेकन को सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्‍त मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के परामर्श से 08 मार्च, 2007 को जेंडर-बजट-चार्टर जारी किया था जिसमें जेंडर-बजटिंग प्रकोष्‍ठों (जी.बी.सी.) के गठन तथा कार्यों की रूप-रेखा दर्शाई गई थी । इस संबंध में सबसे अधिक महत्‍वपूर्ण उपलब्‍धि विभिन्‍न मंत्रालयों तथा विभागों में जेंडर बजटिंग प्रकोष्‍ठों (जी.बी.सी.) की संरचना के माध्‍यम से प्रगति को संस्‍थापित करना रहा है । अभी तक 57 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों ने जेंडर बजटिंग प्रकोष्‍ठ (जी.बी.सी.) स्‍थापित कर दिए हैं । जेंडर बजटिंग प्रणाली में की गई एक और महत्‍वपूर्ण प्रगति आयोजना चरण पर महिलाओं के मामलों को शामिल करने तथा निष्‍कर्ष बजट (आउटकम बजट) प्रक्रिया में जेंडर परिप्रेक्ष्‍य को शामिल करने के लिए 01 अप्रैल, 2014 से व्‍यय वित्‍त समितिई.एफ.सी.) दस्‍तावेज़ में जेंडर प्रभाव संबंधी एक कॉलम शामिल करना है । जेंडर बजटिंग विवरण यथा-प्रतिबिम्‍बित जेंडर बजट का विस्‍तार यह दर्शाता है कि विभिन्‍न मंत्रालयों/विभागों द्वारा महिलाओं के लिए किए गए आबंटन जो वर्ष 2005-06 में 14,378.68 करोड़ रु0 से वर्ष 2016-17 में बढ़ाकर 90,624.76 करोड़ रुपये कर दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) : निधियां, जेंडर सुग्राहिता और जेंडर विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्‍वित करने, शासन के स्‍तरों पर जेंडर मामलों को मुख्‍यधारा में लाने के लिए जेंडर बजटिंग प्रकोष्‍ठों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु केंद्रीय/राज्‍य सरकार/स्‍वायत्‍त संस्‍थानों को निर्मुक्‍त की जाती हैं । सरकारी स्‍वायत्‍त संस्‍थाओं को राष्‍ट्रीय तथा राज्‍य दोनों स्‍तरों पर अंतनिर्मित जी.बी. विशेषज्ञता विकसित करने के लिए मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की गई है तथा अन्‍य विभिन्‍न हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना आरंभ कर दिया गया है । प्रशिक्षण कार्यक्रम को संरचित तथा संपोषित तरीके से सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय में राज्‍य स्‍तर पर नोडल केंद्रों को नामित करने की प्रक्रिया की चल रही है । 20 राज्‍यों ने अपने-अपने नोडल केंद्र पहले ही नामित कर दिए हैं और केंद्रीय स्‍तर पर, राष्‍ट्रीय वित्‍तीय प्रबंधन संस्‍थान, फरीदाबाद को जेंडर बजटिंग कार्यकलापों को आरंभ करने के लिए मंत्रालय द्वारा नोडल केंद्र के रूप में नामित किया गया है ।

\*\*\*\*\*